मध्यप्रदेश शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ 44-13/2017/20-2 भोपाल दिनांक 7.7.2018

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,मध्यप्रदेश
3. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी
4. समस्त प्राचार्य हाई/हायर सेकैण्डरी स्कूल

मध्यप्रदेश।

विषय- शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था।

संदर्भ-1 म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्र. 44-15/20/2010/20-2 भोपाल दि 9.11.16.

2 म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्र./एफ 44-13/17/20-2 भोपाल दि. 20.07.17.

3. म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्र./एफ 44-15/20/2010/20-2 भोपाल दि 4.12.2017.

राज्य शासन के संदर्भित आदेश-1 में अतिथि शिक्षकों को रखने हेतु दिशानिर्देश उल्लेखित है। संदर्भित आदेश-2 के अनुसार अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने के इच्छुक आवेदकों के ऑनलाईन पंजीयन उपरांत संकुल प्राचार्य से सत्यापन की कार्यवाही एन.आई.सी. के सहयोग से तैयार ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जा चुकी है। सत्र 2018-19 के लिये विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के लिये निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें -

1. अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन

1.1 किसी भी स्तर की शाला में अतिथि शिक्षकों को निम्न कारणों से रखा जा सकेगा:-

1.1.1 शाला में स्वीकृत पद के विरूद्ध पद रिक्त रहने पर।

1.1.2 किसी शिक्षक/शिक्षिका के न्यूनतम 15 दिवस या उससे अधिक के मेडिकल/अर्जित/अन्य स्वीकृत/ अनाधिकृत अवकाश पर रहने की स्थिति में।

1.1.3 शिक्षिका के प्रसूति/चाईल्ड केयर अवकाश पर होने पर/शिक्षक के पितृत्व अवकाश पर होने पर

1.1.4 शासन/विभागीय अनुमति से डी.एड./बी.एड./एम.एड. प्रशिक्षण में शिक्षक के जाने पर।

1.1.5 नवीन हाईस्कूल/उ.मा.वि/मॉडल स्कूल जहां शिक्षक की व्यवस्था नहीं हुई है।

1.2 समस्त विद्यालयों की रिक्तियों की जानकारी को 01 जुलाई 2018 की स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगिन से अपडेट की गयी जानकारी के आधार पर www.gfms.mp.gov.in पोर्टल पर प्रदर्शित होगी। इस सूची का प्रिंट निकालकर जिला शिक्षा अधिकारी/ सहा.आयुक्त/ विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के नोटिसबोर्ड पर प्रदर्शित किया जाये।

1.3 पोर्टल पर आवेदकों के स्कोर कार्ड जनरेट किये गये हैं, आवेदक अपना आधार नंबर दर्ज करके स्वयं का स्कोरकार्ड देख सकते हैं।

1.4 आवेदक विकासखण्डवार/विद्यालयवार/विषयवार रिक्तियां पोर्टल पर देख सकेंगें।

1.5 अतिथि शिक्षक हेतु इच्छुक आवेदक द्वारा दर्ज परीक्षा के विषय/प्राप्तांक/पूर्णांक/आधार नंबर में संशोधन हेतु आवेदक को अंतिम अवसर दिया जाता है। आवेदक **दिनांक 12 जुलाई** तक संबंधित संकुल प्राचार्य के कार्यालय में अभिलेख सहित उपस्थित होकर संशोधन करा सकते हैं। संशोधन केवल दर्ज जानकारी में ही होगा। नवीन जानकारी को जोडने की अनुमति नहीं होगी।

2. विद्यालय स्तर पर चयन प्रक्रिया(प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय)-

2.1 नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के नियम, 2011 के नियम 17 (2) मे किए गए प्रावधानो के अनुसार विद्यालय वार रिक्त पदों की गणना छात्र नामांकन के आधार पर की जाती है। समग्र शिक्षा पोर्टल में वर्ष 2017-18 के नामांकन के आधार पर अतिथि शिक्षको की संख्या का आकलन किया जाए। किसी भी स्थिति में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों से अधिक अतिथि शिक्षक नहीं रखे जाए अन्यथा सम्बंधित आहरण संवितरण अधिकारी वित्तीय अनियमितता के दोषी होंगे। आकस्मिक निरीक्षण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने की जवाबदेही जिला शिक्षा अधिकारी की होगी।

2.2. आवेदक कण्डिका 2.1 में रिक्तियों के आधार पर अध्यापन के लिये इच्छुक आवेदक को चाहे गये विद्यालयों में निर्धारित तिथि तक आवेदन पोर्टल जनरेटेड स्कोर कार्ड के साथ प्रस्तुत करना होगा। बिना स्कोर कार्ड के आवेदन मान्य नहीं होगा। स्कूल में प्राप्त आवेदनों में स्कोर के आधार पर स्कूल स्तर पर मेरिट के आधार पर तैयार पैनल का अनुमोदन एस.एम.सी. द्वारा किया जाये। पैनल को विद्यालय, ग्रामपंचायत तथा संकुल विद्यालय के सूचना पटल पर लगाया जाए। तैयार पैनल में से गुणानुक्रम में से आवेदकों को अध्यापन के लिये आमंत्रित किया जाये। कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया जायेगा।

3.विद्यालय स्तर पर चयन प्रक्रिया (हाई एवं हायरसैकेण्डरी विद्यालय)

3.1 अतिथि शिक्षक पोर्टल में पंजीकृत तथा सत्यापित आवेदक, पोर्टल www.gfms.mp.gov.in पर स्वयं के लॉगिन आई.डी.(पंजीकृत मोबाईल नम्बर) तथा पासवर्ड से पोर्टल में रिक्त पद वाले विद्यालयों के विकल्प भर सकते है। इसके लिये पोर्टल कण्डिका “7” में वर्णित तालिका की समय सारिणी में दर्शाई तिथि तक खुला रहेगा। आवेदकों की सुविधा के लिये हेल्प मेन्युअल पोर्टल पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त हेल्पडेस्क नम्बर 8120078140 पर कार्यालयीन समय में शंकाओं का समाधान किया जा सकता है।

3.2 आवेदक द्वारा कण्डिका 3.1 के अनुसार भरे गये विकल्प के विद्यालयों में आवेदक के स्कोर (मेरिट अंक) के अनुसार विद्यालयों के विषयवार पैनलमें उनकी स्थिति पोर्टल पर प्रदर्शित होगी।

3.3 कण्डिका 3.2 के अनुसार विद्यालयवार पैनल जनरेट होने के उपरांत हाई एवं हायर सैकेण्डरी विद्यालय के प्राचार्य अपने विद्यालय का पैनल पर एस.एम.डी.सी. से अनुमोदन प्राप्त करेंगें।

3.5 विदयालयवार पैनल में शामिल आवेदक संबंधित विदयालय को अपनी सहमति देंगे, जिसके आधार पर एस.एम.डी.सी.द्वारा उन्हें गुणानुक्रम के अनुसार अध्यापन हेतु आमंत्रित किया जायेगा। कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया जायेगा।

3.6. मॉडल स्कूल में अतिथि शिक्षको के चयन होने तक पूर्व में अध्यापन कार्य कर रहे अतिथि शिक्षकों को रखे जाने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार रखे जाने वाले अतिथि शिक्षकों को इस आशय का शपथपत्र देना होगा के उपरोक्त आनलाईन प्रकिया के सम्पन्न होने एंव उसमें चयनित न होने पर अध्यापन कार्य से प्रथक हो जायेंगे ।

4. समस्त विद्‌यालयों द्‌वारा की जाने वाली कार्यवाही

4.1 समस्त संस्था प्रमुख निर्धारित तिथि तक मेरिट के आधार पर विद्‌यालयवार पैनल का अनुमोदन एस.एम.सी./ एस.एम.डी.सी. से प्राप्त करेंगे। पैनल में गुणानुक्रम से आवेदक को अध्यापन हेतु आमंत्रित किया जायेगा। कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया जायेगा। किसी भी स्थिति में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों से अधिक अतिथि शिक्षक नहीं रखे जाए अन्यथा सम्बंधित संस्था प्रमुख वित्तीय अनियमितता के दोषी होंगे।

4.2 यदि एस.एम.सी./एस.एम.डी.सी. की राय में अभ्यर्थी शिक्षण कार्य हेतु स्वस्थ नहीं है, तो समिति आवेदक से स्वास्थ्य जांच प्रमाणपत्र की मांग कर सकेंगे एवं प्रमाण पत्र न दे पाने की स्थिति में पैनल से गुणानुक्रमानुसार अगले आवेदक को आमंत्रित किया जाए।

4.3 यदि किसी आवेदक के स्कोर कार्ड में प्रदर्शित अंकों का मिलान मूल अंकसूची से नहीं होने अथवा आवेदक का आचरण शिक्षकीय कार्य के अनुरुप नहीं होने अथवा पूर्व में कार्य संतोषजनक न रहने की स्थिति में समुचित प्रमाण के आधार पर एस.एम.सी./एस.एम.डी.सी. उस आवेदक को अमान्य कर सकती है। तत्सम्बन्धी कारण के विवरण को कण्डिका 4.4. के अनुसार संधारित पंजी में कारण सहित स्पष्ट रुप से अंकित किया जायेगा।

4.4 आवेदक को अतिथि शिक्षक हेतु आमंत्रित करने की उक्त समस्त प्रक्रिया को एक पंजी में व्यवस्थित रुप से संधारित किया जाये जिसमें मुख्यत: निम्न बिन्दु सम्मिलित हो :

4.4.1 पैनल के आवेदकों द्‌वारा उपस्थिति नहीं देने अथवा कण्डिका 4.2 तथा 4.3 के परिपेक्ष्य में अध्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किये जाने सम्बन्धी विवरण को कारण सहित स्पष्ट रुप से अंकित किया जाये।

4.4.2 बैठक का कार्यवाही विवरण में समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हो।

4.5 विद्‌यालय द्‌वारा अभ्यर्थी से इस आशय का स्वघोषणा शपथपत्र लिया जाए, कि उनके विरुद्ध "लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम,2012 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख तथा संरक्षण) अधिनियम 2000" के अधीन अथवा अन्य कोई अपराधिक मामला पंजीबद्ध अथवा प्रचलित नहीं है। स्वघोषणा शपथपत्र का प्रारुप संलग्न है।

4.6 समस्त विद्‌यालयों द्‌वारा इस आशय का प्रमाणपत्र देना होगा कि, अतिथि शिक्षक के चयन की कार्यवाही शासन के निर्देशों के अनुसार पूर्ण की गयी है।

4.7 इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात कण्डिका 1.1.1-1.1.5 में उल्लेखित अस्थायी रिक्तियों के सम्बन्ध में पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे।

5. संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल में ऑनलाईन प्रविष्टि

उक्त प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत विद्यालय में उपस्थित होने वाले अतिथि शिक्षक की प्रविष्टि संकुल प्राचार्य डी.डी.ओ. लॉगिन से पोर्टल में उस विद्यालय के डाईसकोड के समक्ष निम्नलिखित तीन ऑपशन में वस्तुस्थिति दर्ज करेंगे :-

क्र	स्थिति	की जाने वाली कार्यवाही
1.	आवेदक द्वारा उपस्थिति दे दी गयी है।	पोर्टल में उपस्थिति दर्ज की जाये।
2.	एस.एम.सी/एस.एम.डी.सी द्वारा आवेदक को अमान्य किया गया : - स्कोर कार्ड में प्रदर्शित अंकों का मिलान मूल अंकसूची से नहीं होने पर। - आचरण उपयुक्त नहीं होने/पूर्व के कार्य असंतोषजनक होने पर समुचित प्रमाण के आधार पर।	रिमार्क के साथ जानकारी पोर्टल में दर्ज की जाये।
3	आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि तक विद्यालय में उपस्थिति नहीं दी गयी।	पोर्टल में अनुपस्थिति दर्ज की जाये।

6. अतिथि शिक्षकों के मानदेय के भुगतान की प्रक्रिया

6.1 विद्यालय में केवल स्वीकृत पद के विरुद्ध रिक्त पद हेतु अतिथि शिक्षकों का मानदेय आहरित किया जा सकेगा। विद्यालय में रखे गये अतिथि शिक्षक की समस्त जानकारी पोर्टल में पूर्व से उपलब्ध है। संकुल प्राचार्य द्वारा केवल आधार लिंक्ड बैंक खाता क्रमांक की प्रविष्टि की जाएगी।

6.2 विद्यालय में रखे गये अतिथि शिक्षक की प्रतिमाह उपस्थिति के आधार पर संकुल प्राचार्य मानदेय देयक तैयार कर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी(डी.डी.ओ.) को ऑनलाईन रुप से फॉरवर्ड करेंगे तथा आहरण हेतु देयक के प्रिंट आउट की प्रति प्रेषित करेंगे।

6.4 मानदेय भुगतान आधार लिंक्ड बैंक खाते में किया जाएगा।

6.5 निर्देशों के विरुद्ध यदि किसी भी अतिथि शिक्षक का मानदेय आहरित किया जाता है, तो सम्बंधित आहरण संवितरण अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी।

7. समयसीमा :-

क्र	गतिविधि	अवधि
1	GFMS पोर्टल में पंजीकृत तथा सत्यापित आवेदक द्वारा पूर्व में दर्ज परीक्षा के विषय/प्राप्तांक/पूर्णाक/ आधार नंबर में संशोधन	9-12 जुलाई
प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय		
1	आवेदक द्वारा स्कोर कार्ड सहित विद्यालय को आवेदन प्रस्तुत करना	14-21 जुलाई
2	विद्यालय स्तर पर एस.एम.सी. द्वारा पैनल तैयार कर अनुमोदन।	24 जुलाई
3	पैनल के गुणानुक्रम से आवेदकों को आमंत्रित करना	24 जुलाई
4	पैनल के गुणानुक्रम से आवेदकों द्वारा विद्यालय में उपस्थिति	25-26 जुलाई
5	संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदक की विद्यालय में उपस्थिति सम्बन्धी जानकारी को पोर्टल में दर्ज करना।	28 जुलाई तक

हाईस्कूल तथा हायर सेकैण्डरी विद्यालय		
1	आवेदक द्वारा विद्यालय का चयन (GFMS पोर्टल पर Choice Filling)	14-17 जुलाई
2	GFMS पोर्टल पर विद्यालयवार, विषयवार पैनल जनरेशन	19 जुलाई
3	विद्यालय स्तर पर एस.एम.डी.सी. द्वारा पैनल का अनुमोदन	20 जुलाई
4	पैनल में शामिल आवेदक द्वारा संबंधित विदयालय को अपनी सहमति देना	21-22 जुलाई
5	पैनल के गुणानुक्रम से आवेदकों द्वारा विद्यालय में उपस्थिति	22 जुलाई
6	संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदक की विद्यालय में उपस्थिति सम्बन्धी जानकारी को पोर्टल में दर्ज करना।	24 जुलाई तक

अतिथि शिक्षक की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने तथा उपयुक्त अभ्यर्थी की उपलब्धता को सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से प्रक्रिया को ऑनलाईन किया गया है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं को निर्देशित किया जाता है, कि वे सन्दर्भित शासनादेशों में दिये गये निर्देश तथा दी गयी समयसीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(हस्ताक्षर) 7/7/18

(प्रमोद सिंह)
उप सचिव
म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्र. एफ 44-13/2017/20-2 भोपाल दिनांक 7.7.2018

1.निज सचिव, माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन।

2. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन जनजातीय कार्य विभाग/अनुसूचित जाति विभाग।

3.आयुक्त लोक शिक्षण म .प्र.भोपाल।

4.आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग म.प्र. भोपाल।

5.संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र म .प्र.भोपाल।

6.कलेक्टर समस्त जिले।

7.मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले।

8.राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी. भोपाल।

9.समस्त संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य विभाग।

10.समस्त सहा. आयुक्त/जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग/जिलापरियोजना समन्वयक।

11.समस्त बी.आर.सी.सी. जनपद शिक्षा केन्द्र।

12.ऑर्डर बुक

की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(हस्ताक्षर) 7/7/18

उप सचिव
म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

स्वघोषणा

मै,..पुत्र/पुत्री ....

उम्र.........निवासी...................... ....

शपथपूर्वक यह कथन करता हूं कि

1- मेरे विरुद्ध कोई भी लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम,2012 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख तथा संरक्षण) अधिनियम 2000" के अधीन कोई मामला पंजीबद्ध अथवा प्रचलित नहीं है।

2- किसी भी न्यायालय द्वारा मुझे अपराधिक प्रकरण में दण्डित नहीं किया और न ही कोई प्रकरण माननीय न्यायलय में विचाराधीन है अथवा न ही कोई मामला पंजीबद्ध हुआ है।

3- मेरे द्वारा किसी अन्य विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य नही किया जा रहा है ।

शपथ ग्रहिता

नाम ....

स्थान

दिनांक